HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 8048/2026
URN: CRLMB / 14700U / 2026

Vinod Kumar Jat S/o Chhajuram, Aged About 30 Years, R/o Torda Brahmn, Police Station Pragpura, District Tehsil Pavta District Kotputali-Behror (Raj.) (Accused Petitioner Is In Judicial Custody In District Jail Kotputali).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
(Through VC)
Judgment / Order

14/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी एन एस एस की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना **विराट नगर जिला कोटपूतली–बहरोड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**189/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 5/25 आयुध अधिनियम** में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन दिनांक **15.12.2025** को वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज किया गया था और तत्समय गवाह लोकेश व हीरालाल के बयान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिकता से लेखबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। उक्त दोनों गवाहान के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष हो चुके हैं, अभियुक्त दिनांक **10.09.2025** से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त

का यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता व अभियुक्त के आपराधिक रिकोर्ड को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि सह अभियुक्त मुकेश द्वारा अपने पांच वर्षीय बच्चे को रिवाल्वर खेलने के लिए दिया और उस दौरान रिवाल्वर चल जाने से उसकी मृत्यु हो गयी। यह भी आरोप है कि यह रिवाल्वर वर्तमान अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा सह अभियुक्त मुकेश को उपलब्ध करवाया गया था। यद्यपि अभियुक्त मुकेश का भारी भरकम आपराधिक रिकोर्ड है। अभियुक्त दिनांक 10.09.2025 से अभिरक्षा में है। दोनों महत्वपूर्ण गवाहान के बयान हो चुके हैं।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि, विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विनोद कुमार जाट** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

18/Murari Lal Sharma/